कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, ,गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर के पूर्वी प्रांगण में स्थित पान की दुकान (गेट नं0 04 के बगल में) की नीलामी आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 को अपरान्ह् 04.30 बजे मुख्यालय स्थित दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्ते निम्नवत हैं :–

1– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व इस दुकान हेतु रू0 5,000/–की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक–पृथक जमा करनी होगी।

3– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4– दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा।

5– प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जॉच कर सकते हैं। संबंधित दुकान की जॉच करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

6– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।

7– जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नही की गयी है, से वित्तीय वर्ष 2023–24 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

/

(चन्द्रप्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

दिनांक–मार्च/24/2023

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– नोडल आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयो को सूचना पटटो पर चस्पा किये जाने हेतु।

1– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2– नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3– नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
4– नोटिस बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
5– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर।
6– नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
7– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, मु0बाद, गाजीपुर।
8– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, मु0बाद, गाजपुर।